न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/343

सुमित्रा कुमारी पत्नी बाबूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–अपीलांट

बनाम

1. मनभर बाई. पत्नी कैलाश जाति गूर्जर
2. सौजी लाल पुत्र किशनलाल जाति जाट
3. सोभाग पुत्र किशनलाल जाति जाट
4. सोपाल पुत्र किशनलाल जाति जाट
5. कैलाश पुत्र दल्ला जाति जाट
   निवासीगण ग्राम फुलेरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रमोहन वर्मा, अभिभाषक, रेस्पो. 1 लगायत 5 की ओर से।

दिनांकः 30.01.2026

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 26/2024(जी.सी.एम. केस नम्बर 24/312) में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के खाते व कब्जे में ग्राम फूलेता तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 321 रकबा 0.6472, खसरा संख्या 322 रकबा 0.3398, खसरा संख्या 323 रकबा 0.2346, खसरा संख्या 324 रकबा 0.0243, खसरा संख्या 327 रकबा 0.2670, खसरा संख्या 328/1053 रकबा 0.0566 कुल किता 6 कुल रकबा 1.5695 हेक्टेयर स्थित है। यह कि प्रार्थीया के खाते कब्जे की उक्त भूमि पर आने जाने के लिए ग्राम फूलेता से देई जाने वाली सडक से आगे विद्युत ग्रेड के पास होकर उत्तर दिशा में जाने वाले रास्ते मे

से होकर आगे पुलिया पर होकर खसरा संख्या 1259/479, 1260/479, 1258/479, 1262/479, 1261/479, 1265/480, 1266/480, 1267/480, 1263/480, 1264/480 में होकर प्रार्थीया के खाते की भूमि. से खसरा संख्या 321 रकबा 0.6472 पर ट्रेक्टर ट्रोली फसल उपज लाने ले जाने के लिए 15 फूट चौडा रास्ता प्रदान किया जावें। उक्त खसरा नम्बर मूल खसरा संख्या 479 व 480 से बने है। प्रार्थीया के लिए यह रास्ता सदेव से ही सुलभ रहा है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीया जो महिला हूँ को भारी परेशानी उठानी पडती है।यह कि प्रार्थीया रास्ते में आने वाली भूमि की डी. एल सी राशि जमा कराने को तैयार प्रार्थीया ने इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया है। खातेदार कृषक के लिए रास्ता प्रदान करने का श्रीमान को अधिकार प्राप्त है। श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अपने खाते की जमीन पर आ जाने के लिए चाहा गया रास्ता प्रदान करने की कृपा करें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.07.2025 के द्वारा प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया। जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व कानूनी नजीरो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम फुलेरा स्थित अपीलांट के

खाते की खसरा नम्बर 321 पर रेस्पोडेन्ट की खसरा नम्बर 479 व 480 पर बने कदिमी रास्ते से आना जाना रहा है, उक्त प्रचलित रास्ता आज भी मौके पर चालू है किन्तु वर्तमान समयानुसार कोई भी खातेदार बिना पैसो के किसी की भी आराजी में निकलने नहीं देता है और इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को आने जानेसे मना किया जिसपर अपीलांट द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये ए से बी रास्ता को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब की विशेष आपत्तियों की मद नम्बर 5 में स्वीकार किया है इसके बावजूद भी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि हर खातेदार को रास्ते की आवश्यकता होती है, और पुराने समय से एक दूसरे के खेतो मे होकर आते जाते रहे है। अपीलान्टा का रास्ता मौके पर बन्द कर देने से अपीलान्टा द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर प्राप्त तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 479, 480 भू नक्शा ऑन लाईन पर प्रदर्शित नहीं होने व तरमीम शो नहीं होने के कारण आधार मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के खसरा नम्बर 140 गैर मुमकिन रास्ता पर रास्ता होना मानकर अपीलान्टा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है कारण कि खसरा नम्बर 140 काफी दूर स्थित है तथा 140 के बाद आने वाले खातेदार प्रकरण में पक्षकार नही है। उक्त रास्ता के बाद आने वाले खातेदार फाटक लगाकर रास्ते को बन्द कर देते है। इस कारण अपीलान्टा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 479, व 480 पर प्रचलित रास्ते के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आरबीट्रेरी रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता प्रदान किया जावे, अन्य न्यायोचित सहायता अपीलांट को दिये जाने के आदेश प्रदान करे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जिन खसरा नम्बरान की भूमि से रास्ता चाहा गया है वहा कभी भी रास्ता नही रहा है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है वह मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार अंकित नहीं किया गया है। उक्त नजरी नक्शा सर्वथा गलत बनाया गया है। अपीलांट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता फुलेता से नाथडा जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ते की खसरा संख्या 140 गैर मुमकिन रास्ते से होकर मौके पर चालू व विद्यमान होने से विधिक तौर पर अप्रार्थीगण की भूमियों में से होकर रास्ता नहीं दिया जा सकता। अपीलांट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पहले से ही विद्यमान होने के कारण रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त

अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकम किया।

अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट की ओर से स्वयं के खाते की खसरा संख्या 321, 322, 323, 324, 327, 328/1053 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा खसरा संख्या 1259/479, 1260/479, 1258/479, 1261/479, 1265/480, 1266/480, 1267/480, 1263/480, 1264/480 में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट संलग्न है। उक्त मोका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर तथा दिनांक 07.03.2025 अंकित है। मोका रिपोर्ट दिनांक 07.03.2025 पर प्रार्थी अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। मोका रिपोर्ट तलब किए जाने का कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंकित नहीं है। मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को जारी किसी प्रकार के सूचना–पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 07.03.2025 तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 07.03.2025 पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने बाबत कोई आदेश अंकित नहीं है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमन्त्रित करेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का कानूनन यह उत्तरदायित्व था कि वह विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार करवाने के उपरांत अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है। प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दिनांक 07.03.2025 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना नहीं की गई

अपील संख्या 2024/343

सुमित्रा कुमारी बनाम मनभर बाई

है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 26/2024(24/312) में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा